अविलंब निर्गत

सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का प्रतिवेदन

(स्थानीय निकायों पर 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन)

बिहार सरकार

विस्तृत हिन्दी प्रतिवेदन के लिए क्यू. आर. कोड स्कैन करें

अविलंब निर्गत

प्रेस विज्ञप्ति

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार से संबंधित वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन 2019–20 अवधि हेतु 13.07.2023 को बिहार विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के इस प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामलों से संबंधित उपलब्धियाँ शामिल है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित उपलिब्धयाँ भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश निम्नवत हैः–

1. पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामलों की एक सामान्य रूपरेखा

❖ *लेखापरीक्षा व्यवस्था*

मानवबल की गंभीर कमी की वजह से वर्ष 2014–20 के दौरान निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (डी.एल.एफ.ए.) ने केवल 1,498 पं.रा.सं. के लेखाओं की लेखापरीक्षा की थी व इनमें से मात्र 407 पं.रा.सं. (27 प्रतिशत) के निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किए गए थे। अगस्त 2021 तक 314 स्वीकृत बल के विरूद्ध डी. एल.एफ.ए. के अधीन केवल 62 अंकेक्षण कर्मी (20 प्रतिशत) कार्यरत् थे।

(कंडिका 1.5)

❖ *कार्यों, निधियों एवं कर्मियों का प्रतिनिधायन*

बिहार सरकार के 20 विभागों ने यद्यपि सितम्बर 2001 में अपने इन संबंधित कार्यों को पं.रा.सं को हस्तांतरित कर दिया था और कार्यों का स्तर–वार गतिविधि मानचित्रण तैयार किया था, लेकिन पंचायतों के तीनों स्तरों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को स्पष्ट व व्यवहारिक नहीं बनाया गया था। इस तरह, कार्यों के हस्तांतरण को प्रभावी ढ़ंग से लागू नहीं किया जा सका।

राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रासंगिक प्रावधानों के बावजूद बिहार (ग्राम पंचायत, लेखापरीक्षा, बजट एवं कराधान) नियमावली नहीं बनाए जाने के कारण पंचायती राज संस्थाएँ करारोपण एवं संग्रहण में असमर्थ थीं।

राज्य में पं.रा.सं. के पास सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव के 6,055 पद (कुल 8,419 स्वीकृत पदों का 72 प्रतिशत) रिक्त थे जबकि पं.रा.सं. में अगस्त 2021 तक लेखाकार–सह–आई.टी सहायक के 413 पद (स्वीकृत पदों का 20 प्रतिशत) व तकनीकी सहायक के 561 पद (स्वीकृत पदों का 27 प्रतिशत) रिक्त थे। पंचायत समिति के लिए अलग से कोई कर्मचारी नहीं था।

(कंडिका 1.3.3)

❖ *निधियों की उपयोगिता*

अक्टूबर 2020 तक, वित्तीय वर्ष 2018–19 तक की अवधि के लिए कुल अनुदान ₹ 39,788.16 करोड़ के विरुद्ध पं.रा.सं. द्वारा केवल ₹ 16,285.93 करोड़ (41 प्रतिशत) का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था।

(कंडिका 1.7.3)

❖ *सार आकस्मिक (ए.सी.)/विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों से संबंधित मामलें*

अक्टूबर 2020 तक, वित्तीय वर्ष 2002–19 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ए.सी. बिलों के माध्यम से निकासी की गई कुल ₹ 1275.78 करोड़ के विरूद्ध ₹ 91.08 करोड़ के डी.सी. बिल जमा नहीं किए गए थे।

(कंडिका 1.8.6.1)

2. पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा

❖ *पंचायती राज संस्थाओं में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन*

बिहार सरकार ने स्थानीय निकायों के वित्त से संबंधित चार प्रमुख अनुशंसाओं में संशोधन के साथ पंचम राज्य वित्त आयोग की सभी अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया। कुल 47 प्रमुख अनुशंसाओं में से बिहार सरकार ने केवल छः अनुशंसाओं को पूरी तरह से लागू किया। इस प्रकार, आत्मनिर्भरता की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने का उद्देश्य, जैसा कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा परिकल्पित तथा केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित किया गया है, संतोषजनक ढ़ंग से प्राप्त नहीं किया जा सका। बिहार सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2015–16 के लिए कोई निधि हस्तांतरित नहीं की थी। इसलिए, वर्ष 2015–16 के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू नहीं किया गया था। स्वयं के संसाधनों से राजस्व में सुधार के लिए स्रोतों का दोहन न करना, निधियों का विलंब के साथ पंचायती राज संस्थाओं को अंतरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्राप्त न होना, योजनाओं के निष्पादन में अनियमितताएं इत्यादि वित्तीय प्रबंधन की कमी व उत्तरदायी कर्मियों द्वारा बरती गई अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है। पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार मॉडल स्टाफिंग पैटर्न को लागू नहीं किया गया था व सभी पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर मानवबल की अत्यधिक कमी थी।

(कंडिका 2.1)

❖ *राजस्व की हानि*

जिला परिषद्, गोपालगंज निविदाकर्त्ताओं से तीन सैरातों के संबंध में बन्दोबस्ती की राशि प्राप्त करने में विफल रही जिसके फलस्वरुप ₹ 10.11 लाख राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.2)

❖ *सरकारी धन का दुर्विनियोजन*

ग्राम पंचायत, मोहनपुर के द्वारा विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अनुदान व प्रदत्त अग्रिमों के समायोजन के संबंध में कोडल प्रावधानों का पालन न किए जाने से अपूर्ण कार्यों पर ₹ 18.60 लाख के अनुपयोगी व्यय के अतिरिक्त ₹ 43.62 लाख का दुर्विनियोजन हुआ।

(कंडिका 2.3)

3. बिहार में शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामलों की एक सामान्य रूपरेखा

❖ *कार्यों, निधियों एवं कर्मियों का प्रतिनिधायन*

चौहत्तरवें संशोधन अधिनियम, 1992 के बाद जोड़ी गई संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 18 विषयों में से 13 विषयों से संबंधित कार्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जा रहे थे तथा शेष पाँच विषयों के कार्य अभी भी बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे थे। इस प्रकार, चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमित होने के 28 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शहरी स्थानीय निकाय अपने सारे अनिवार्य कार्यों के निष्पादन में सक्षम नहीं थे।

केन्द्र/राज्य सरकार ने श.स्था.नि. के अधिदेशित कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न शीर्षों जैसे केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग आदि के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को निधियां प्रदान की थीं। शहरी स्थानीय निकाय स्वयं के राजस्व स्रोतों से अपनी स्थापना व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं थे तथा अपने अनिवार्य कार्यों के संपादन हेतु वृहत् तौर पर सरकारी अनुदान पर निर्भर थे।

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के पास प्रतिनिधायित कार्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त कर्मी नहीं थे। अगस्त 2021 तक, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2,982 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से केवल 599 पद भरे गए थे व 2,383 पद (कुल पदों का 80 प्रतिशत) रिक्त थे।

(***कंडिका 3.3.2***)

❖ *विभिन्न समितियों का गठन*

जिला योजना समितियों का गठन विलंब से फरवरी 2018 में किया गया था तथा 2016 एवं 2017 के बीच की अवधि के दौरान यह अस्तित्व में नहीं थी। इसके अलावा, राज्य की नगरपालिकाओं में नगरपालिका लेखा समिति, विषय समिति तथा वार्ड समिति का गठन नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.4.2)

❖ *महालेखाकार (ले.प.) के द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों पर असंतोषप्रद अनुक्रिया*

सितंबर 2021 तक, 209 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित कुल 5,679 लेखापरीक्षा कंडिकाओं में से केवल 1,276 लेखापरीक्षा कंडिकाओं (22 प्रतिशत) का निपटान किया गया था तथा 4,403 लेखापरीक्षा कंडिकाएं जिनमें ₹ 2,511.49 करोड़ सम्मिलित थे, निपटान के लिए शेष थे।

(कंडिका 3.6.1)

❖ *उपयोगिता प्रमाण पत्र*

2018–19 तक की अवधि के लिए जारी ₹ 9,648.86 करोड़ के कुल अनुदान के विरूद्ध जनवरी 2020 तक, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा केवल ₹ 5,840.63 करोड़ (61 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे।

(कंडिका 3.7.6)

4. शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा

❖ नगर पंचायत, बनमनखी के द्वारा जलापूर्त्ति पाईप बिछाने व घरों में कनेक्शन प्रदान करने के पूर्व सबमर्सिबल पंपों की आवश्यकता का आकलन करने में विफल रहने के परिणामस्वरुप ₹ 2.78 करोड़ का अनुपयोगी व्यय हुआ।

(कंडिका 4.1)

❖ पटना नगर निगम द्वारा होल्डिंग्स के सटीक वर्गीकरण पर संपत्ति कर की वसूली करने में विफलता एवं संपत्ति कर की गणना के लिए आवश्यक भौतिक जानकारी को दबाने पर गृह–स्वामियों से जुर्माना की राशि प्राप्त करने हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं किए जाने के परिणामस्वरुप ₹ 1.06 करोड़ के कर–राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 4.2)

प्रतिवेदन से संबंधित आगे की जानकारी के लिए कृप्या सम्मपर्क करें:

श्री शिव शंकर, प्रवक्ता
उप–महालेखाकार / ए.एम.जी.–V
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

दूरभाष– 0612–2223725
फैक्स– 0612–2506223
वेबसाइट– www.ag.bih.nic.in
ई–मेल– agaubihar@cag.gov.in

श्री कुंदन कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (मीडिया अधिकारी)
मो.- 9431624894